




GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Transport Department Mahanagar ARTO Lucknow (UP321)
FORM 23



CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No	: UP32LJ9012	Registration Date	: 30-Jul-2020
Description of Vehicle	: MOTOR CAR	Purpose For Printing RC	: CA
Dealer's Name & Address	: PUNEET AUTOMOBILES PVT.LTD., 403-407 UTTARDHAUNA TIWARI GANJ, FAIZABAD ROAD LUCKNOW, ...		
Owner Name	: RAM PRAKASH SINGH	Son/wife/daughter of	: LALLU SINGH
Full Address: (Permanent)	: 13/3/12 RAMKOT ASHARFI, BHAWAN CHAURAHYA AYODHYA, FAIZABAD, AYODHYA, UTTAR PRADESH-224123		
Full Address: (Temporary)	: 1/476 VINAY KHAND GOMTI, NAGAR, LUCKNOW, LUCKNOW-UTTAR PRADESH-226010		
Fitness UpTo	: 29-Jul-2035	Tax UpTo	: One Time
Owner Serial No	: 1		
Detailed Description			
Class of Vehicle	: MOTOR CAR	Link Vehicle No	
Ownership	: INDIVIDUAL	Norms	: BHARAT STAGE VI
Maker's Name	: TATA MOTORS LTD		
Front HSRP No	: BA2500366752	Rear HSRP No	: BA2500366753
Type of Body	: 5 DOOR STEEL SHELL	Month/Year of Manuf.	: 07/2020
No of Cylinders	: 3	Chassis No	: MAT627129LLF13879
Engine No	: REVTRN11FZXK33679	Fuel	: PETROL
Horse Power(BHP)	: 118.19	Cubic Capacity	: 1199.00
Maker's Classification	: TATA NEXON XZ+ 1.2 RTN B Wheel base		: 2498
	S6		
Seating Cap(in all)	: 5	Standing Cap	: 0
Sleeper Cap	: 0	Unladen Wt (kgs)	: 1226
Colour	: FOLIAG_PREWT	Laden/GV Wt (kgs)	: 1636
Other Criteria		AC Fitted	: YES
Vehicle Purchase As	: Fully Built		

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

By Manuf.	Description	As Regd.	Weight(in kgs)
a) Front:			
b) Rear:			
c) Other:			
d) Tandem:			

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of HDFC BANK LTD, LUCKNOW, Lucknow, Uttar Pradesh-226001 w.e.f. 24-Jul-2020.

Purchase dt	: 24-Jul-2020	Sale Amt	: 970000/-
OTT Date	: 24-Jul-2020	Amount/Rcpt No	: 77600 / UP321D2007001783
TaxUpTo	: One Time	Vehicle is Govt./ Pvt.	: PRIVATE
Tax Exempted or Not	: NOT EXEMPTED	Date of Approval	: 09-Mar-2021
Other State/Transfer/Conversion Details			
Previous Owner	:	Previous RegNo	:
Old State	:	Entry Date	:
Transfer Date	:	Conversion Date	:

This certificate is valid from 30-Jul-2020 to 29-Jul-2035

Date : 09-Mar-2021 18:55:44

Taxation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

Signature of Registering Authority
Date: 09-Mar-2021



M 1801799

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

अपील

देश के सामाजिक आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाहनों की संख्या में भी अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती आ रही है परन्तु सड़कों की संख्या एवं उनकी लम्बाई/चौड़ाई तथा गुणवत्ता आदि में एक सीमा तक सुधार हुआ है, जिससे सड़क परिवहन की गति में वृद्धि हुई है। इस अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि/वाहनों की संख्या में वृद्धि आदि के कारण से लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। हम सब अवगत है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना वर्तमान में हमारे लिये चुनौती बन गया है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में देश में लगभग 4.64 लाख दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 1.48 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 4.71 लाख व्यक्ति घायल हो गए। वर्ष 2018 में देश में लगभग 42,568 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 22,256 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 29,644 लाख व्यक्ति घायल हुए।

मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने और प्रभावी चेकिंग की कार्यवाही करने के साथ-साथ जनता का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमें यातायात के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना है। यातायात के नियमों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं पर एक प्रभावी अंकुश लग सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि तीन चौथाई से अधिक दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं।

अब आप सबसे विभाग की अपील है कि—

अवश्य करें	कभी न करें
1. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।	1. ड्राईविंग लाईसेंस तथा गाड़ी के अन्य प्रपत्र के बिना गाड़ी न चलाएं।
2. कार चलाते समय सीट-बेल्ट अवश्य लगाएं।	2. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3. चौराहे पर लाइट रेड हाने पर आगे न बढ़ें।	3. गलत ढंग से वाहन ओवरटेक न करें।
4. वाहन चलाते समय पैदल चलने वालों तथा सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं का ध्यान रखें।	4. खतरनाक ढंग/गति से गाड़ी न चलाएं।
5. सड़क संकेतों/चिन्हों का हमेशा पालन करें।	5. शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।

1. परिवहन विभाग का पोर्टल (www.uptransport.org)
2. परिवहन विभाग की हेल्पलाइन का टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-151

परिवहन विभाग द्वारा जनहित में जारी